(9) उपरोक्त कारणों से, मैं इस अपील को लागत सहित खारिज कर दूंगा। वकील का शुल्क: रु. 50.

एन.केएस

नागरिक विविध

न्यायमूर्ति हरबंस सिंह और एस.एस संधावालिया के समक्ष

प्रकाश चंदर बत्रा और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

Civil Writ No 199 of 1969

15 सितम्बर 1969.

पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी-अधिकारी) अधिनियम (जेआई)/1931)—धारा 3(1) और 3(4)—कार्यकारी अधिकारी—नियुक्ति की सरकार की शक्ति—चाहे वह पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए हो—सरकार द्वारा ऐसी नियुक्ति का नवीनीकरण—चाहे पांच वर्ष की अवधि से अधिक हो सकती है सभी में।

अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम की धारा 3(4) में अतिरिक्त शब्द 'नहीं' के प्रयोग से जो परिणामी अंतर उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग धारा 3(1) में नहीं किया गया है, जबकि धारा 3(1) नगरपालिका समिति एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करते समय केवल पांच साल की निश्चित अवधि के लिए ऐसा कर सकती है, धारा 3(4) के तहत एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करते समय सरकार की शक्ति पर ऐसी कोई सीमा मौजूद नहीं है। सरकार पांच साल से कम अवधि के लिए एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में पूरी तरह से अंतिम उल्लिखित प्रावधानों के दायरे में होगी, उदाहरण के लिए, एक, दो या

तीन साल के लिए, जैसा वह उचित समझे।¬

(पैरा 5)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) में 'नवीकरणीय अवधि के लिए पांच वर्ष से अधिक नहीं' शब्द का अर्थ यह नहीं है कि नवीनीकरण करने की भी सरकार की शक्ति कुल मिलाकर कभी भी पांच वर्ष की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। इस प्रस्ताव के लिए कोई वारंट नहीं है कि इस उप-धारा का अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि उपरोक्त शब्दों के बाद 'एयू में' शब्द लाए जाएं, जबकि विधायिका ने उन्हें वहां रखने का विकल्प नहीं चुना है। उप-धारा (4) के मामले में समग्र अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता हैएक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति

का नवीनीकरण और पांच साल की अवधि से परे नियुक्ति को नवीनीकृत करने की सरकार की शक्ति इस उप-धारा के तहत मौजूद है। (पैरा 6)

याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेदों 226 और 227 के अंतर्गत प्रार्थना की गई है कि अधिकार-पृच्छा *और परमादेश की एक रिट जारी की जाए जिसमें उत्तरदाताओं को यह बताने का निर्देश दिया जाए कि प्रतिवादी नंबर 2 किस अधिकार से कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका समिति, रोहतक का पद धारण करना चाहता है और यह भी निर्देश दे। कि प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति को शून्य माना जाए।*

राजिंदर सच्चर, वकील,याचिकाकर्ताओं की ओर से

जी.सी.गर्ग, एडवोकेट फॉर एडवोकेट-जी जनरल, हरियाणा, जी.सी.मित्तल, वकील,प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति संधवलिया—भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस याचिका को डिवीजन बेंच ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम, 1931 की धारा 3 के प्रावधान इसमें निर्माण के दायरे में आते हैं।

(2) इन तथ्यों को किसी भी विवाद में नहीं रखा जा सकता। पंजाब नगर निगम

(कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम 1931 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) को वर्ष

1963 में एक अधिसूचना द्वारा रोहतक नगर समिति तक बढ़ा दिया गया था। मौजूदा नगर समिति आवश्यक शर्तें पूरी करने में विफल रही। समिति के कुल गठित सदस्यों का 8वां बहुमत जो समिति द्वारा एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवश्यक है और परिणामस्वरूप समिति किसी भी व्यक्ति को कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं कर सकती है। तदनुसार धारा 3(4) के प्रावधानों के तहत कार्य करते हुए सरकार ने 23 दिसंबर, 1963 को एन.सी भारद्वाज, प्रतिवादी नंबर 2 को पांच साल की अवधि के लिए कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। वर्तमान नगर समिति, रोहतक के चुनाव, जो मार्च, 1968 में 27 सदस्य निर्वाचित हुए और 12 सदस्य कांग्रेस के टिकट पर और 9 जनसंघ के टिकट पर निर्वाचित हुए। रिट याचिका में दो याचिकाकर्ता क्रमशः नगरपालिका समिति में कांग्रेस और जनसंघ पार्टियों के नेता हैं। चूँकि एक कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 का कार्यकाल 23 दिसंबर, 1968 को समाप्त होने वाला था, एक कार्यकारी की नियुक्ति पर विचार करने के उद्देश्य से 21 नवंबर, 1968 को चौथी समिति की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। अधिकारी. हालाँकि, यह देखा गया कि उक्त बैठक का बुलावा दोषपूर्ण था क्योंकि अपेक्षित सात दिनों का नोटिस नहीं दिया गया था, जिस पर आपत्ति जताई गई थी, उक्त बैठक 17 दिसंबर, 1968 को स्थगित कर दी गई थी। इस बीच प्रतिवादी के कार्यालय का कार्यकाल समाप्त हो गया। नंबर 2 की समाप्ति 23 दिसंबर 1968 को होनी थी, हरियाणा के राज्यपाल ने अपने आदेश से,

दिनांक 20 दिसंबर, 1968, ने प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति को 24 दिसंबर, 1968 से पांच साल की अतिरिक्त अवधि के लिए रुपये 500—50—750 के समय-मान में नवीनीकृत किया। जिसे वह प्रासंगिक समय पर चित्रित कर रहा था। यह प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति का नवीनीकरण है जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है। प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ पक्षपात और प्रामाणिकता की कमी के आरोप

भी लगाए गए थे, उपायुक्त, रोहतक ने सुझाव दिया था कि वह प्रतिवादी नंबर 2 की पुनर्नियुक्ति में रुचि रखते थे, लेकिन याचिका की सुनवाई के समय इन पर जोर नहीं दिया गया था। .¬¬¬

(3) याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री सच्चर का प्राथमिक तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 3(4) के तहत किसी कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति या नवीनीकरण करने की सरकार की शक्ति किसी भी मामले में कुल मिलाकर पांच वर्ष की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। इस प्रस्तुतिकरण के लिए उप-धारा (4) की भाषा पर ही भरोसा किया गया था और नगरपालिका द्वारा नियुक्ति की अवधि के संबंध में धारा 3 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त भाषा में भिन्नता से विवाद को बल देने की मांग की गई थी। एक कार्यकारी अधिकारी की समिति यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया कि एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार मुख्य रूप से नगर पालिका समिति में निहित है और एक बार ऐसा करने में विफल रहने पर इस अधिकार को पांच साल से अधिक की अवधि के लिए पराजित नहीं किया जा सकता है। राम दास पासी बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1) में इस न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा रखा गया था।

(4) उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 3 के विस्तृत प्रावधानों की रूपरेखा को संक्षेप में देखना आवश्यक है। इसकी उपधारा (1) में समिति द्वारा कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसमें सरकार की मंजूरी के साथ एक विशेष बैठक में समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 5/8 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव शामिल होगा। उप-धारा (2) और (3) में कहा गया है कि यदि इस प्रकार बुलाई गई विशेष बैठक में किसी भी उम्मीदवार के लिए अपेक्षित बहुमत सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो अध्यक्ष 14 दिनों के भीतर एक और बैठक बुलाएगा। स्थगित बैठक में भी

(5)

(6) नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को फिर से पहले निर्धारित 5/8वें बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। नगर पालिका को कार्यकारी अधिकारी नियुक्त न करने पर उपधारा (4) शक्ति देती है¬¬

पाँच वर्ष से अधिक की नवीकरणीय अवधि के लिए सरकार में नियुक्ति। उप-धारा (5) और (6) में केवल यह प्रावधान है कि किसी समिति का सदस्य जब कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा और कार्यकारी अधिकारी का पारिश्रमिक नगरपालिका निधि से देय होगा। उपधारा (7) राज्य सरकार को कार्यकारी अधिकारी को निलंबित करने या हटाने की शक्तियाँ देती है और आगे बताती है कि यदि समिति ऊपर उल्लिखित 5/8वें बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित करती है, तो

कार्यकारी अधिकारी को निलंबित या हटा दिया जाएगा और इसके बाद समिति सरकार की मंजूरी से एक व्यक्ति को कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। अंत में उपधारा (8) और (9) छुट्टी देने और कार्यकारी अधिकारी की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन की स्थिति में प्रावधान करने से संबंधित हैं। वर्तमान मामला जिन महत्वपूर्ण प्रावधानों पर केंद्रित है, वे धारा 3 की उप-धाराएं (1) और (4) हैं जिन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध विस्तार में निर्धारित किया जा सकता है: -¬¬

*अनुभाग*3(1) *उपधारा*(4) धारा 3 का

Exe की नियुक्ति एवं वेतन-यदि समिति सहायक अधिकारी को विफल कर देती है।—(1) किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी

नगरपालिका अधिनियम की धारा 36 और 27 में निहित,

57

समिति, उस समय समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पांच-आठवें सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, या बैठक में नियुक्त करने के उद्देश्य से बुलाई जाएगी। कार्यकारी अधिकारी जहां कोई अन्य व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, धारा 1 की उप-धारा (2) के तहत जारी अधिसूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर, राज्य सरकार के अनुमोदन से एक व्यक्ति को कार्यकारी

अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। वेतन की ऐसी दर पर पांच वर्ष की नवीकरणीय अवधि, जो सभी भत्तों सहित एक हजार पांच

सौ रुपये से अधिक न हो, जैसा वह उचित समझे:'¬¬¬
धारा 1 की उपधारा (2) के तहत जारी अधिसूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के लिए, राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसी दर पर पांच साल से अधिक की नवीकरणीय अवधि के लिए समिति के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। मासिक वेतन रु. 1,500 से

अधिक नहीं, सभी भत्ते सम्मिलित हैं जो उचित समझे जाएं।¬¬¬

(7) विद्वान वकील ने राम दास पासी के मामले (1) पर भरोसा जताया था। इस मामले में न्यायमूर्ति बिशन नारायण ने अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्नानुसार देखा था: -

> "धारा 3(1) के तहत नगरपालिका समिति याचिकाकर्ता को पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त करने के लिए बाध्य थी और वह इसे लंबी या छोटी अवधि के लिए नहीं कर सकती थी। इसलिए, सरकार धारा 3(1) के तहत नियुक्ति की अवधि को पांच साल के अलावा किसी भी अवधि तक कम नहीं कर सकती है।"¬

हम विद्वान जेटिज द्वारा व्यक्त उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं, लेकिन यह देखने में असफल हैं कि यह प्राधिकरण याचिकाकर्ता के मामले को कैसे आगे बढ़ाता है। इसके विपरीत यह प्राधिकार धारा 3(4) में अतिरिक्त शब्द 'नहीं' के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले परिणामी अंतर को इंगित करता है, जिसका प्रयोग धारा 3(1) में नहीं किया गया है। भाषा में इस भिन्नता का एकमात्र परिणाम यह है कि धारा 3(1) के तहत नगरपालिका समिति एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति केवल पांच साल की निश्चित अवधि के लिए कर सकती है, लेकिन सरकार की शक्ति पर ऐसी कोई सीमा मौजूद नहीं है। धारा 3(4) के तहत एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करते समय। सरकार पांच साल से कम अवधि के लिए एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में पूरी तरह से अंतिम उल्लिखित प्रावधानों के दायरे में होगी, उदाहरण के लिए, एक, दो या तीन साल के लिए, जैसा वह उचित समझे। न तो उप-धारा (4) के प्रावधानों से और न ही जिस प्राधिकारी पर भरोसा किया गया है, उससे कोई आवश्यक निष्कर्ष निकलता है कि पांच साल की अवधि से परे नियुक्ति को नवीनीकृत करने की सरकार की शक्ति मौजूद नहीं है।¬¬

(8) श्री सच्चर ने तब तर्क दिया था कि 'नवीकरणीय अवधि के लिए पांच वर्ष से अधिक नहीं' शब्दों का अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि नवीनीकरण करने की भी सरकार की शक्ति कुल मिलाकर कभी भी पांच वर्ष की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं. वास्तव में यदि यह निर्माण इन शब्दों पर रखा गया है तो इसमें धारा 4(4) के तहत 'पाँच वर्ष से अधिक की नवीकरणीय अवधि के लिए' शब्दों के बाद 'कुल मिलाकर' शब्दों का आयात शामिल होगा।

इसलिए हमें इस प्रस्ताव के लिए कोई औचित्य नहीं मिलता है कि इस उप-धारा को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि 'सभी' शब्दों को लाया जाए, जबकि विधायिका ने उन्हें इसमें रखने के लिए नहीं चुना है। व्याख्या के स्थापित सिद्धांत यह हैं कि सबसे पहले क़ानून की व्याकरणिक भाषा को उसका स्पष्ट अर्थ देना होगा। वर्तमान मामले में हमें उपधारा में प्रयुक्त भाषा के अर्थ तक पहुंचने में कोई गंभीर कठिनाई नहीं दिखती है¬¬

(4) जो किसी कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के नवीनीकरण के मामले में समग्र अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।

(9) श्री श्री सच्चर ने तब जोरदार ढंग से तर्क दिया था कि: धारा 3(4) के प्रावधानों की व्याख्या करने से कठोर परिणाम होंगे कि एक नगरपालिका समिति जो एक बार अपेक्षित बहुमत के साथ सिफारिश करने में विफल रही थी, वह अपनी नियुक्ति का अधिकार खो देगी। यदि सरकार पांच साल की अवधि के लिए नियुक्ति को नवीनीकृत करना चाहती है तो कुल मिलाकर कार्यकारी अधिकारी इस विवाद का पूर्ण उत्तर उपधारा (7) के प्रावधान द्वारा प्रदान किया गया है। इनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि समिति के पास अपेक्षित 5/8 बहुमत है, तो वह हमेशा एक बैठक बुला सकती है और कार्यकारी अधिकारी के निलंबन और निष्कासन के लिए कदम उठा सकती है और यह अनिवार्य कर दिया गया है कि ऐसे प्रस्ताव पारित होने पर कार्यकारी अधिकारी उपर्युक्त प्रावधान के तहत हटा दिया जाएगा या निलंबित कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा।¬¬

57

(10) अंत में याचिकाकर्ताओं की ओर से एक कमजोर तर्क उठाया गया कि धारा 3(4) एक दंडात्मक प्रावधान था और माधो सरन सिंह और अन्य बनाम सम्राट (2) पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि इसे बहुत सख्ती से समझा जाना चाहिए। जिस प्राधिकारी पर भरोसा किया गया वह आपराधिक कानून से संबंधित है और अधिनियम की धारा 3(4) की तुलना किसी आपराधिक कानून की दंडात्मक धाराओं से करना शायद ही संभव है।

(11) प्रतिवादी की ओर से श्री जी.सी मित्तल ने तर्क दिया है कि मूल नियुक्ति को नवीनीकृत करने की शक्ति धारा 3(1) के तहत नगरपालिका समिति और धारा 3(4) के तहत सरकार दोनों के लिए आम है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि 'नवीकरणीय' शब्द जो कि दोनों में सामान्य कारक है, को प्रावधान की व्याख्या करने की सुविधा के लिए बाहर रखा गया है, तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यदि इस शब्द को हटा दिया जाता है तो उप-धारा (4) का प्रासंगिक भाग "पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए" के रूप में पढ़ा जाएगा। यह नियुक्ति से संबंधित होगा और इसके नवीनीकरण में किसी आवश्यक समयावधि की बाधा नहीं होगी। वास्तव में प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सरकार और नगरपालिका समिति दोनों को पांच साल की अवधि के बाद नियुक्ति को नवीनीकृत करने की शक्ति है। हम श्री मित्तल की प्रस्तुति में पेटेंट योग्यता पाते हैं।¬¬¬

(12) इस प्रकार हमारा विचार है कि धारा 3(4) सरकार को पांच साल की अवधि से अधिक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को नवीनीकृत करने पर कोई रोक नहीं लगाती है। यह तो आक्षेपित आदेश है वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति का नवीनीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था और इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का न्यायिक दोष नहीं है।

(13) इसलिए, याचिका विफल होनी चाहिए और खारिज कर दी जाती है, लेकिन हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

न्यायमूर्ति हरबंस सिंह, -मैं सहमत हूं.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ममता,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रोहतक, हरियाणा ।